

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(27)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2024-04248

जयपुर, दिनांक:-हस्ताक्षर दिनांक

:- आदेश :-

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 29.07.2024 के बिन्दु संख्या-28.02 की अनुपालना में बालाहेडा (महवा)-दौसा में नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

- पूर्व में नवीन कृषि महाविद्यालय हेतु प्रदत्त स्वीकृति को ध्यान में रखते हुये निम्नानुसार कुल 29 नवीन पद एवं 01 मशीन विद मैन की सेवाओं के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालय का नाम	पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद
1-राजकीय कृषि महाविद्यालय, बालाहेडा (महवा)-दौसा	अधिष्ठाता/प्राचार्य	01	बजट मद- 2202- सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 02-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) राज्य निधि
	सह-आचार्य	02	
	सहायक आचार्य	10	
	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	
	निजी सहायक	01	
	सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	01	
	प्रशासनिक अधिकारी	01	
	वरिष्ठ सहायक	01	
	कनिष्ठ सहायक	01	
	फार्म मैनेजर	01	
	प्रयोगशाला सहायक	03	
	कृषि पर्यवेक्षक	01	
	वाहन चालक *	01	
	मशीन विद मैन **	(01)	
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04	
कुल योग	29+(01)		

*वाहन चालक (ट्रेक्टर चालक) के पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक/रेक्सकों के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी।

**मशीन विद मैन (01) की सेवाएँ वित्त विभाग के समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya

Designation : Deputy Secretary

Date: 2024.09.25 15:40:06 IST

Reason: Approved



2. उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
3. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालय में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसाइटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सकों से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. वेतनादि एवं महाविद्यालय के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय राशि के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
5. महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि रूपये 08.80 करोड़ के व्यय की सहमति प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
6. जब तक महाविद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक वैकल्पिक रूप से महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्तालय के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जावे। आवश्यक होने पर किराये के भवन में भी महाविद्यालय प्रारम्भ किया जा सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401987 दिनांक 23.09.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)

शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव/उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya

शासन उप सचिव प्रथम
Designation : Deputy Secretary

Date: 2024.09.25 15:40:06 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone: 0141-2706847

क्रमांक: एफ 20(101)आयो/आकाशि/24-25/नवीनकृषि/00074

विषय:- दिनांक 29 जुलाई, 2024 को परिवर्तित बजट 2024-25 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के बिन्दु संख्या 28.02 की अनुपालना में बालाहेडा (महवा)-दौसा में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पृष्ठांकन बाबत।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का राजकाज संदर्भ संख्या 10731682 दिनांक 25.09.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

- संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, कार्यालय, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- कुल सचिव, संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
- जेट कॉन्डिनेटर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय की प्रवेश संबंधी कार्यवाही करने का श्रम करावें।
- संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
- संयुक्त निदेशक, एचआरडी एवं प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृति आदेश की बिन्दु संख्या 03 के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- संयुक्त निदेशक, राजसेस, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय के संबंध में आयोजना शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय के अस्थाई भवन, भूमि, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता आदि के संबंध में उक्त महाविद्यालयों हेतु नियुक्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- नोडल प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार स्नातक स्तर पर खोले गये नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय के संबंध में संयुक्त निदेशक, राजसेस आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से समन्वय स्थापित कर अस्थाई भवन, भूमि, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
- वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Vijeendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.25 17:55:46 IST
Reason: Approved